

केन्द्रीय सूचना आयोग  
द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन  
भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066.

\*\*\*\*\*

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2016/245  
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2016/00244  
CICOM/R/2016/00560

दिनांक: 24.06.2016

अपीलकर्ता : श्री गिरीश प्रसाद गुप्ता,  
ग्राम - शोकहारा-2, राजेन्द्र पथ बरौनी,  
पो0 - बरौनी - 851112.  
जिला - बेगूसराय (बिहार) ।

निर्णय की तारीख : 24.06.2016

|                                                      |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| आर.टी.आई. आवेदन की तिथि                              | 23.04.2016        |
| आर.टी.आई. आवेदन के प्रतिउत्तर की तिथि                | 29.04.2016        |
| प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी                | श्री विजय भल्ला   |
| प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि                        | 01.06.2016        |
| आयोग में प्रथम अपील का डायरी सं. व तिथि              | 142506/08.06.2016 |
| प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि | 344/09.06.2016    |

1. अपीलकर्ता ने आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/SH/A/2015/000260, 000428, 001365, 000388, 002638, 000676, 001216, 000482 वापस लिए जाने के संबंध में दिनांक 06.04.2016 को भेजे गए फैक्स एवं पत्र पर की गई कार्यवाही के संबंध में सूचना मांगी थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री विजय भल्ला, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 29.04.2016 को अपीलकर्ता को सूचना प्रदान की गई जिसमें उल्लेख किया गया है कि "उक्त फैक्स का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है और उक्त पत्र दिनांक 11.04.2016 को प्राप्त हुआ, उस पत्र से संबंधित फाइलों पर सुनवाई 06.04.2016 को ही हो चुकी थी और उसी दिन आयोग का निर्णय/आदेश भी जारी कर दिया गया था । इसलिए पत्र पर कोई कार्यवाही संभव नहीं थी" ।

2. प्रथम अपील के माध्यम से अपीलकर्ता ने जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना "कि उक्त फैक्स का रिकार्ड उपलब्ध नहीं है" से असंतुष्ट होते हुए अपीलकर्ता ने फैक्स रिपोर्ट की छायाप्रति संलग्न की है । फैक्स रिपोर्ट का अद्यलोकांन करने पर पाया गया कि फैक्स रिपोर्ट में फैक्स नं. 01123092755 अंकित है, जो कि केन्द्रीय सूचना आयोग का है ही नहीं, केवल आयोग को गुमराह करने के लिए गलत फैक्स रिपोर्ट की प्रति संलग्न की गई है । अतः श्री विजय भल्ला, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना बिल्कुल सही है तथा अधोहस्ताक्षरी इससे पूर्णतः सहमत हैं ।

3. तदुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ में अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील, यदि कोई हो, आदेश प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, 'सी' विंग, अगस्त क्रांति भवन, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110066 में की जा सकती है ।

अचला सिन्हा

(अचला सिन्हा)

अपर सचिव एवं

प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि :

1. जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।
2. श्री विजय भल्ला, उप-पंजीयक व जन सूचना अधिकारी, सूचना आयुक्त-एस.एच. कार्यालय, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

